



राजधानी में बृहस्पतिवार को कुछ इलाकों में हुई बारिश के दौरान जंगपुरा इलाके में सड़कों पर जमा पानी से गुजरते वाहन चालक।

फोटो : प्रेर

अतिक्रमण पर त्वरित कार्रवाई करें जिलाधिकारी: एलजी

नई दिल्ली (एसएनबी)। राजधानी में सफाई व्यवस्था, अतिक्रमण रोकना, जल भराव, यमुना में गंदे पानी को बहने से रोकना, कृषि योग्य भूमि की अनधिकृत खरीद-फरोख्त, जेजे कलस्टरो एवं अनधिकृत कालोनियों में शुद्ध पेयजल पहुँचा कराना जिलाधिकारी सुनिश्चित करेंगे। उप-राज्यपाल वीके स्कसेना ने बैठक में जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह पूरी पारदर्शिता के साथ आपसी तालमेल बिठाकर काम करें। इसमें सभी विभागों के अधिकारी सहयोग करेंगे। बैठक में उप-राज्यपाल ने डॉक स्पॉट समाप्त करने के लिए पुलिस के साथ मिलकर काम करने को कहा। बैठक में मुख्य सचिव एवं मंडलायुक्त भी मौजूद थे। उन्होंने जिलाधिकारियों को हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत 15 अगस्त को मुख्यालय, सरकारी भवनों पर ध्वजारोहण करने के भी निर्देश दिए हैं। उप-राज्यपाल ने सभी विभागों से बेहतर तालमेल के साथ सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने राजस्व विभाग, दिल्ली नगर निगम, एनडीएमसी

समेत सभी विभाग एक साथ मिलकर काम करें और सभी जिलाधिकारी क्षेत्र में रहकर निगरानी रखेंगे। खासकर स्वच्छता को लेकर नियमित रूप से

हस्तांतरण हेतु एनओसी के लिए लिंबित आवेदनों की सूची एवं देरी के कारण के साथ प्रस्तुत करें। जिलाधिकारी मौके पर जाकर जल भराव वाले स्थानों की पहचान कर, वहां कूड़ा-कचरा एकत्र न हो। यह सुनिश्चित करेंगे। जेजे कलस्टर एवं अनधिकृत कालोनियों से निकलने वाली गंदा पानी यमुना में न गिर, यह भी जिलाधिकारी सुनिश्चित करें। कृषि योग्य भूमि की अनधिकृत विक्री, प्लॉटिंग आदि का जिक्र करते हुए उप-राज्यपाल ने ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने को कहा है जिससे जमीन की अनधिकृत खरीद-फरोख्त एवं कब्जों को रोका जा सके। पुराने फार्म हाउसों के भीतर छोटे-छोटे



पारदर्शिता एवं आपसी तालमेल के साथ विभागों को काम करने के निर्देश

हर घर तिरंगा यात्रा के तहत मुख्यालयों एवं सरकारी भवनों पर तिरंगा फहराने की तैयारी

जिलाधिकारी निगरानी रखेंगे। अतिक्रमण को लेकर गंभीरता दिखाते हुए उप-राज्यपाल ने कहा कि शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित हो। स्कसेना ने कहा कि जिलाधिकारी भूमि की खरीद-फरोख्त/

भूखंडों के नक्शों की जांच करने के बाद उचित कार्रवाई की जाए। जेजे कलस्टर एवं अनधिकृत कालोनियों में गंदे पानी की आपूर्ति को रोका जाए और ऐसा करने वाले टैंकर माफिया के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित हो।

कुछ इलाकों में जमकर बरसे बदरा

नई दिल्ली (एसएनबी)। राजधानी के कई इलाकों में बृहस्पतिवार को बारिश हुई, जिससे शहर के लोगों को भीषण गर्मी और उमस भरे मौसम से राहत मिली। बारिश से ही दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से तीन डिग्री सेल्सियस नीचे गिरकर 31.2 और न्यूनतम तापमान औसत से एक डिग्री सेल्सियस नीचे गिरकर 26.7 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। इस बीच दिल्ली में औसत बारिश 20.4 मिमी रिकार्ड की गई। इस दौरान सबसे ज्यादा लोधी रोड इलाके में 15.1 मिमी, पीतपुरा में 11 मिमी, पूसा रोड इलाके में 4.5 मिमी और आ्यानगर इलाके में 2.4 मिमी रिकार्ड किया गया। पालम इलाके में भी एक मिमी और यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इलाके में महज 0.5 मिमी बारिश हुई जबकि अन्य इलाके बारिश से अछूते रहे।

इलाकों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हो सकती है। राजधानी के जिन इलाकों में बारिश हुई उनमें लाजपत नगर, ग्रेटर कैलाश, जंगपुरा, लुटियंस दिल्ली के कुछ हिस्से, रोहतक रोड, आनंद पर्वत, जखीरा, आईटीओ, लोधी रोड और इंडिया गेट के आसपास के इलाके शामिल हैं। बारिश से शहर के कुछ निचले इलाकों में जलभराव हो गया और आनंद पर्वत, रोहतक रोड, जखीरा, किराड़ी और लाजपत नगर सहित अन्य इलाकों में यातायात प्रभावित हुआ। यातायात पुलिस ने भी लोगों को बारिश और जलभराव के कारण विभिन्न सड़कों पर यातायात प्रभावित होने के बारे में सूचित किया और उन्हें तदनुसार अपनी यात्रा की योजना बनाने की सलाह दी। यातायात पुलिस ने ट्वीट किया, 'न्यू रोहतक रोड पर आनंद पर्वत से जखीरा की ओर जाने वाली सड़क और गली नंबर-10, आनंद पर्वत के पास जलभराव के कारण यातायात प्रभावित है। कृपया इन रास्तों पर जाने से बचें।'

कुछ इलाकों में हुई बारिश से सामान्य से नीचे लुढ़का पारा

शुक्रवार को भी कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश होने के आसार

दूसरे दिन भी कोरोना के केस एक हजार से ज्यादा

नई दिल्ली (भाषा)। राजधानी में कोरोना के 1,128 नए मामले सामने आए हैं और संक्रमण दर 6.56 प्रतिशत रही, जबकि इस महामारी से किसी और व्यक्ति को मौत नहीं हुई है। बृहस्पतिवार को स्वास्थ्य विभाग द्वारा साझा किए गए आंकड़ों में राजधानी में लगातार दूसरे दिन संक्रमण के एक हजार से अधिक मामले सामने आए और लगातार छठे दिन संक्रमण की दर पांच प्रतिशत से अधिक रही।

1,128 नए केस सामने आए

दिल्ली में संक्रमण के नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 19,51,930 हो गई है जबकि महामारी से जान गंवाने वालों की कुल संख्या 26,307 है। एक दिन पहले 17,188 नमूनों की कोविड-19 जांच की गई। उपचाराधीन रोगियों की संख्या 3,526 है। दिल्ली में बुधवार को संक्रमण के 1,066 मामले सामने आए थे, जो लगभग एक सप्ताह में सबसे अधिक है। संक्रमण दर 6.91 प्रतिशत रही थी जबकि दो रोगियों को मौत हुई थी।

हजारों बच्चे बनाएंगे दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा

नई दिल्ली (एसएनबी)। चार अगस्त को दिल्ली के हजारों बच्चे विश्व का सबसे बड़ा तिरंगा बनाएंगे। इसके लिए दिल्ली के विभिन्न स्कूलों के छात्र तैयारी में जुटे हैं। हजारों छात्रों द्वारा बनाए जाने वाला यह तिरंगा एक नए रिकार्ड के तौर पर भी दर्ज किया जा सकता है। यह आयोजन दिल्ली सरकार द्वारा किया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि जहां 4 अगस्त को दिल्ली के हजारों बच्चे एकत्र होकर दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा बनाएंगे, वहीं हम 130 करोड़ भारतीयों को दुनिया का नम्बर वन देश बनाने के लिए संकल्प लेंगे।

उन्होंने कहा कि देश को आजाद हुए 75 साल हो गए। इन 75 सालों में कई देश हमसे आगे निकल गए, हम पीछे क्यों रह गए। अगर इन नेताओं और इन पार्टियों के भरोसे देश को छोड़ दिया, तो अगले और 75 साल देश पीछे रह जाएगा। इसलिए आएं, आजादी के 75वें वर्ष में हम प्रण लें कि हम

आरोप पत्र पर कोर्ट ने लिया संज्ञान

नई दिल्ली (एसएनबी)। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में दाखिल दिल्ली पुलिस के आरोप पत्र पर रोहिणी कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है। उसने न्यायिक हिरासत में मौजूद सभी आरोपियों के खिलाफ पेशी वारंट जारी कर 6 अगस्त को उन्हें पेश करने को कहा है। इस मामले में अभी तक 37 गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि 45 लोगों को आरोपी बनाया गया है।

जहांगीरपुरी हिंसा मामला

मजिस्ट्रेट ने प्रथम दृष्टया माना, दंगे एक साजिश के तहत करवाए गए थे

आरोपपत्र में मोहम्मद अंसार और तबरेज को मुख्य साजिशकर्ता

छह अगस्त के लिए पेशी वारंट जारी

मजिस्ट्रेट दीपिका सिंह ने प्रथम दृष्टया माना कि दंगे एक साजिश के तहत करवाए गए थे। सभी आरोपियों के खिलाफ साजिश, हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं के तहत मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं। उन्होंने गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ पेशी वारंट व अन्य के खिलाफ समन जारी कर पेश होने को कहा है। यह मामला 16 अप्रैल को हुमाना जयंती के अवसर पर एक जुलूस के दौरान हुई हिंसा से जुड़ा है। पुलिस ने आरोपपत्र में कहा है कि यह हिंसा सीएफ के विरोध प्रदर्शन को ही आधार

एलएनजेपी अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट पर संज्ञान न ले अदालत : हाईकोर्ट

नई दिल्ली (एसएनबी)। हाईकोर्ट ने निचली अदालत से कहा कि वह धन शोधन के मामले में आरोपी बनाए गए मंत्री सत्येंद्र जैन को अंतरिम जमानत पर सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के लोक न्याय अस्पताल (एलएनजेपी अस्पताल) की मेडिकल रिपोर्ट पर फिलहाल विचार न करे। कोर्ट ने इसके साथ ही जैन का इलाज एलएनजेपी को छोड़कर अन्य अस्पताल में कराने की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की मांग पर स्वास्थ्य मंत्री को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा है। जैन ने अपनी बीमारी के आधार पर जमानत लेने के लिए निचली अदालत में अंतरिम जमानत याचिका दाखिल की है। उसपर 29 जुलाई को सुनवाई होगी है। निचली अदालत ने ही जैन को एलएनजेपी में भर्ती कराने को कहा था। उस आदेश को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने जैन का इलाज अखिल भारतीय

आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) या राम मनोहर लोहिया (आरएमएल) अस्पताल, सफदरगंज दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत का मामला

ईडी की मांग, एलएनजेपी को छोड़कर किसी अन्य अस्पताल में इलाज कराएं जैन

एलएनजेपी दिल्ली सरकार के अधीन अस्पताल लिहाजा अधिकारी कर सकते हैं पक्षपात : ईडी

अस्पताल जैसे स्वतंत्र अस्पताल में कराने की मांग पर जैन को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई 17 अगस्त तक स्थगित कर दी है। साथ ही निचली अदालत को निर्देश दिया कि वह अगली सुनवाई तक एलएनजेपी की मेडिकल रिपोर्ट पर विचार न करे।

ईडी ने कहा है कि एलएनजेपी अस्पताल दिल्ली सरकार के अधीन है और आरोपी जैन स्वास्थ्य मंत्री हैं, इस दशा में अस्पताल के अधिकारी स्वयं में आकर पक्षपात कर सकते हैं। वे अपने मंत्री पद का फायदा उठा रहे हैं। ईडी ने कहा कि जैन को गिरफ्तार हुए 46 दिन हो गए हैं, लेकिन उन्होंने एक दिन भी जेल में नहीं बिताया है। उन्होंने 46 दिनों से मंत्री होने का फायदा उठाया है। उन्हें 30 मई को गिरफ्तार किया गया था। निचली अदालत ने उन्हें 13 जून को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था वह तब से न्यायिक हिरासत में हैं। आज तक 46 दिन हो गए हैं उन्होंने बीमारी का बहाना बनाकर खुद को अस्पताल में भर्ती करवाया है। मंत्री जैन ने पहले 20 दिन जेल की डिस्टेंसरी में बिताए और उसके बाद से 26 दिन से एलएनजेपी में भर्ती हैं।

नई दिल्ली (एसएनबी)। उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दावा किया है कि सरकार एवं आईआईटी दिल्ली के साझा अभियान के तहत नए रोड मार्किंग के साथ लेन ड्राइविंग को बढ़ावा देने और सड़कों को सुरक्षित बनाने का पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा है। राजगाईन से ब्रिटानिया चौक के बीच 4.5 किलोमीटर के क्षेत्र में चलाए प्रोजेक्ट से बसों की रफ्तार में 23 फीसद वृद्धि दर्ज की गई और यातायात के नियमों के उल्लंघन में 54 फीसद की कमी आयी। इसी अनुभव के आधार पर निर्णय लिया गया है कि पीडब्ल्यूडी की सभी सड़कों पर यह नियम लागू किया जाएगा। लेन ड्राइविंग को बढ़ावा देने के लिए अन्तरराष्ट्रीय मानकों को ध्यान रखते हुए सड़कों पर नए सिरे से मार्किंग शुरू किया जा रहा है। उप-मुख्यमंत्री ने इस पायलट प्रोजेक्ट को लेकर बृहस्पतिवार को



सड़कों पर नये सिरे से होगी मार्किंग

बसों की रफ्तार 23 फीसद बढ़ी, नियमों के उल्लंघन में 54 फीसद की कमी

पीडब्ल्यूडी की सभी सड़कों पर नये सिरे से होगी मार्किंग

अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद जारी बयान में कहा है कि सड़कों को सुरक्षित एवं यातायात को सुगम बनाने के लिए सरकार लेन ड्राइविंग को बढ़ावा दे रही है। इसके साथ ही पीडब्ल्यूडी ने सभी सड़कों पर नए सिरे से मार्किंग का काम शुरू कर दिया है। इसका नतीजा यह रहा है कि निर्धारित क्षेत्र में बसों की रफ्तार 17 से बढ़कर 23 फीसद हो गई। इससे यात्रा में लगने वाले समय में कमी आयी है।

उन्होंने कहा है कि दिल्ली में लोगों को बेहतर व सुरक्षित सड़कें देने के लिए सरकार लेन ड्राइविंग को प्रतिबद्धता के साथ लागू कर रही है। लेन ड्राइविंग पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि सड़कों को सुरक्षित बनाने और ट्रैफिक को व्यवस्थित करने के लिए लेन ड्राइविंग का पालन करना जरूरी है। चालक अपनी लेन में ही ड्राइविंग करें। परिवहन विभाग की ओर से बसों के लिए लेन इनफोर्मेंट ड्राइव की भी शुरुआत की गई है।

एनजीओ को गैंग रेप पीड़िता से मिलने की दी अनुमति

नई दिल्ली (एसएनबी)। हाईकोर्ट ने यूनाइटेड सिख्स नाम के एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) को शाहदरा में सामूहिक दुष्कर्म मामले में पीड़िता से मिलने की अनुमति दे दी। कोर्ट ने संसदन को चेतावनी दी कि वह घटना को राजनीतिक रंग नहीं देने की कोशिश करे और न ही संदर्भ से बाहर जाकर कोई धार्मिक रंग दिया जाए।

न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदीरता ने कहा कि दिल्ली सरकार के अनुसार स्वतंत्र हैं। उन्होंने पुलिस सहित अन्य प्रतिवादियों को ऐसी किसी भी बैठक की सुविधा सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति ने यह भी कहा कि आम तौर पर आवश्यक कानूनी सहायता और सहायता प्रदान करने के लिए एक बैठक से इंकार नहीं किया जा सकता है, यदि पीड़िता को न्याय और निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। ऐसी बैठकों का उपयोग किसी भी कानून-व्यवस्था को बिगड़ने में नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही उसका शांति भंग करने के लिए किसी विशेष समुदाय की भावनाओं को भड़काने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

समस्या बताए आसान हल पाए
भविष्यवता व्यापारिक * जायदाद संबंधी
वास्तुशास्त्री विचारिक * नौकरी * तलाक
रत्न विशेषज्ञ विवाह में अडचन * लव रिज
दयाल जी गृहकलेश * कोर्ट कचहरी
98101 22 222
द्वारका / करोल बाग
बुधवार अथवा
शनिवार-501/2 महीने हेतु

विज्ञापन
जन्मा वैदिक कॉलेज, बड़ौता (गामपुर) में स्व-वित्तपोषित योजना के अन्तर्गत संचालित निम्नलिखित विषयों में उ०प्र० शासन / ए० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ की परिनिष्ठावली एवं यू०जीसीसी० के अनुसर निर्धारित अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमन्त्रित किया जाते हैं।
एल.एन.बी. (03 वर्षीय) कोर्स- प्राचार्य पद- 01
बी०ए० (सांख्यिक शिक्षा) एकल विषय- अति० प्रो पद- 01
एल.एन.बी. (03 वर्षीय) कोर्स- अति० प्रो पद- 02
एल.एन.बी. (03 वर्षीय) कोर्स- अति० प्रो पद- 02
बी० कोर्स- अति० प्रो पद- 03
सभी अभ्यर्थी विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर jvcollege@gmail.com पर या प्राचार्य-क्यामलय में आवेदन भेजने का कट करे। साक्षात्कार हेतु अलग से दूरभाष एवं ई-मेल आई.डी. के माध्यम से सूचना प्रेषित की जावेगी।
(प्रो० जय कुमार सर्रोहा)
प्राचार्य
(हीरो-हयाल सिंह)
अध्यक्ष, प्रबन्ध समिति

JUBILANT FOODWORKS LIMITED
CIN No. L74899UP1995PLC043677
Regd. Office: Plot No. 1A, Sector - 16A, Noida - 201301 (U.P.)
Corporate Office: 5th Floor, Tower D, Plot No. 5, Logix Techno Park, Sector-127, Noida - 201304 (U.P.)
Contact No: +91-120-4090500, Fax No: +91-120-4090599, E-mail: investor@jubfood.com
Website: www.jubilantfoodworks.com

STATEMENT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2022
(Figures-INR in Lakhs, Unless Otherwise Stated)

Sr. No.	PARTICULARS	STANDALONE RESULTS				CONSOLIDATED RESULTS			
		For the Quarter ended		For the Year ended		For the Quarter ended		For the Year ended	
		30 th June 2022	31 st March 2022	30 th June 2021	31 st March 2022	30 th June 2022	31 st March 2022	30 th June 2021	31 st March 2022
1.	Total Income from Operations (net)	124,026.50	115,788.65	87,899.12	433,109.98	125,509.60	117,597.46	89,318.83	439,612.29
2.	Net Profit for the period/year (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary Items)	16,416.48	15,394.77	8,873.12	58,928.04	14,935.18	13,406.89	9,540.17	57,058.58
3.	Net Profit for the period/year before Tax (after Exceptional and / or Extraordinary Items) (Refer Note 4)	13,752.58	15,355.52	8,314.68	58,195.50	14,935.18	13,367.64	8,981.73	56,326.04
4.	Net Profit for the period/year after Tax (after Exceptional and / or Extraordinary Items)	10,095.73	11,611.26	6,255.34	43,752.21	11,258.63	9,600.74	6,906.27	41,808.83
5.	Total Comprehensive Income for the period/year (comprising Profit for the period/after Tax and Other Comprehensive Income after Tax)	4,590.24	5,718.07	18,741.76	68,052.36	5,729.25	1,221.16	19,194.08	62,929.66
6.	Equity Share Capital	13,196.90	13,196.90	13,196.90	13,196.90	13,196.90	13,196.90	13,196.90	13,196.90
7.	Reserves excluding Revaluation Reserve as at Balance Sheet date				197,153.12				181,299.93
8.	Earnings per share (after exceptional items) (of INR.2 each) (Refer Note 5)								
	(a) Basic (in INR.)	1.53	1.76	0.95	6.63	1.71	1.47	1.05	6.37
	(b) Diluted (in INR.)	1.53	1.76	0.95	6.63	1.71	1.47	1.05	6.37

Notes:

- These unaudited financial results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles as laid down in the Indian Accounting Standards (referred to as "Ind AS") prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules as amended from time to time. The above standalone and consolidated unaudited financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their meetings held on 28th July 2022. The statutory auditor's report on review of quarterly standalone and consolidated unaudited financial results for the quarter ended 30th June 2022 is being filed with the BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited.
- The Company's business activity falls within a single business segment i.e. Food and Beverages in terms of Ind AS 108 on Segment Reporting.
- The figures for the quarter ended 31st March, 2022 of the previous financial year, as reported in these unaudited financial results, are the balancing figures between audited figures in respect of the full previous financial year and the published year to date figures upto the end of third quarter of the previous financial year. Also, the figures upto the end of the third quarter of the previous financial year had only been reviewed and not subjected to audit.
- The Company has investment in its wholly owned subsidiary viz. Jubilant FoodWorks Lanka (Private) Limited (JFLPL) having operations in Sri Lanka. Considering significant changes in economic environment of Sri Lanka resulting into rising inflation, depletion of forex reserves, depreciation of currency, and other economic and political uncertainties, the management has recorded an impairment charge of INR 2,663.90 lakhs in current quarter which is shown under exceptional items.
Exceptional items in previous quarters and previous year includes costs incurred by the Company to support its employees, associates and their dependents during COVID-19 pandemic. These includes assistance to families of deceased employees and associates, vaccination of employees, associates and their dependents, quarantine facilities for COVID-19 impacted employees and associates, etc.
- During the quarter, the equity shares of the Company were split/ sub-divided such that each equity share having face value of INR 10/- (Rupees Ten only) fully paid-up, was sub-divided into five (5) equity shares having face value of INR 2/- (Rupees Two only) each, fully paid-up with effect from 20th April 2022 (Record Date). The Earnings Per Share (EPS) numbers of the current quarter and all comparative periods presented above have been restated to give effect of the share split.
- The above is an extract of detailed format of unaudited financial results for the quarter ended 30th June 2022 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited financial results are available on the Stock Exchanges websites (www.bseindia.com) and on Company's website (www.jubilantfoodworks.com).

Place: Noida
Date: 28th July 2022

For and on behalf of the Board of Directors of
JUBILANT FOODWORKS LIMITED
sd/-
SHYAM S. BHARTIA
CHAIRMAN & DIRECTOR
DIRN No. 0010484